पृ.क्रं. 177

पिछला	अगला

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष)

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश , भोपाल

Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, 2674212 E-mail: apccfprot@mp.gov.in

क्रमॉक/एफ–05/10–10/2009 /4143 /भोपालःदिनांक- 02/12/2009

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक

(क्षेत्रीय / वन्यप्राणी),

मध्यप्रदेश।

विषयः–वन अपराध में लिप्त वाहनों के राजसात की प्रकिया शुरू करने की विधिवत सूचना प्रदाय करने बाबत।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–52 व मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा–15 के अन्तर्गत वन अपराध प्रकरणों में लिप्त वाहन आदि के राजसात की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अधिग्रहित सम्पत्ति को तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर तत्काल सम्पत्ति अधिग्रहण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ करने की सूचना अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में दी जानी होती है (प्रारूप संलग्न है)। इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि इस प्रारूप की एक प्रतिलिपि प्रकरण से संबंधित वन मण्डलाधिकारी, अपीलीय अधिकारी के साथ – साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण–कक्ष) को भी अनिवाये रूप से प्रेषित की जायेगी।

वाहन राजसात की कार्यवाही के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा वाहन राजसात के संबंध में जो भी आदेश जारी किये जाते हैं, उसकी प्रतिलिपि प्राधिकृत अधिकारी व अपीलीय अधिकारी मुख्यालय को भी प्रेषित करेंगे । कृपया भविष्य में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

30.11.09

(ए0 के0 दुबे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

प्रारुप

कार्यालय ....

क्रमॉक/ /स्थान.... / दिनांक

प्रति,

न्यायिक दण्डाधिकारी,

....

मध्यप्रदेश ।

विषय :– पी0ओ0आर0 क्रमॉक............ दिनांक................. से हुए वन अपराध में अपराध करने में प्रयुक्त.................... को राजसात करना ।

निवेदन है कि मैने.............................. अधिनियम .... की धारा ....के अनुसार वन अपराध में प्रयुक्त होने वाली .... को राजसात करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, जिसकी सूचना निम्न विवरण में दी जा रही है:–

1–(अ) उस वस्तु का विवरण जिसको राजसात किया जाना प्रस्तावित है ।	....
(ब) उन परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण जिनमें वह जप्त की गई ।	....
2– जप्त शुदा वस्तु के मालिक का नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, पेशा आदि	....
3– उस व्यक्ति का नाम/ पिता का नाम, निवासी जिससे कालम (अ) में दर्शाई संपत्ति जप्त की गई ।	....
4– जप्ती का दिनांक, समय , स्थान	....
5–उस अधिकारी का नाम व पद जिसने ऊपर वर्णित वस्तु जप्त की ।	....
6– जप्त शुदा वस्तु का अनुमानित मूल्य	....

7– अपराध/ अपराधों का विवरण मय धारा व अधिनियम जिनके अन्तर्गत अपराध हुआ है ।	....
8– सूचना प्रेषण का दिनांक	....

प्राधिकृत अधिकारी

(इस पत्र की प्रतिलिपि संबंधित वन मण्डलाधिकारी/ मुख्य वन संरक्षक/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण शाखा) को भी प्रेषित की जावेगी।)